रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. [illegible]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 1971/श्रावण 6, 1893

No. 394] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 1971/SRAVANA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

ORDER

New Delhi, the 28th July 1971

S.O. 2849.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any of the Railway services connected with or under the Northeast Frontier Railway Administration.

[No. E(L)70STI-65.]

By Order and in the Name of the President.

V. P. SAWHNEY,
Secretary, Railway Board and *Ex-officio* Joint Secretary to the Government of India.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1971

एस० आर० 2649.—यतः केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में निम्नलिखित आदेश जारी करना आवश्यक है :—

अतः अतिआवश्यक सेवा अनुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 59 वां) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन से सम्बद्ध अथवा उसके अधीन किसी भी रेल सेवा में हड़तालों को प्रतिषिद्ध करती

[सं० ई० (एल०) 70एस० टी० 1—65]

राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर

वेद प्रकाश साहनी,
सचिव, रेलवे बोर्ड, एवं
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971